उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 अंक 8-9 16-30 अप्रैल 2023 -1-15 मई 2023 ₹ 20/-

फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर विवाद

- गुजरात दंगों के आरोपियों के बरी होने पर बवाल
- पाकिस्तार गृहयुद्ध के कगार पर
- सूडान में भीषण गृहयुद्ध
- खरबों रुपये की संपत्ति पर जारी रहेगा वक्फ बोर्ड का नियंत्रण

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर विवाद 04
गुजरात दंगों के आरोपियों के बरी होने पर बवाल 06
खरबों रुपए की संपत्ति पर जारी रहेगा वक्फ बोर्ड का नियंत्रण 07
बिहार में जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक 09
आतंकवादियों के खिलाफ अभियान 10
मुसलमानों को सरकार के खिलाफ भड़काने का अभियान 11

विश्व

पाकिस्तान गृहयुद्ध के कगार पर 13
बुर्किना फासो में आतंकवादियों ने की 80 नागरिकों की हत्या 15
पाकिस्तान के स्कूल में फायरिंग 16
आईएसआईएस की अमेरिका, यूरोप और एशिया में हमलों की तैयारी 17
ऑस्ट्रेलिया के स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ 17

पश्चिम एशिया

सूडान में भीषण गृहयुद्ध 18
यमन में सहायता सामग्री बांटने के दौरान भगदड़ 19
सीरिया और ईरान के बीच व्यापारिक समझौता 20
सीरिया में आईएसआईएस का प्रमुख मारा गया 20
हाजियों के लिए सऊदी एयरलाइंस के 164 विमान निर्धारित 21

सारांश

पाकिस्तान में स्थिति दिन-प्रतिदिन विस्फोटक होती जा रही है। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहला मौका है, जब वहां की जनता खुलकर सेना के खिलाफ मैदान में उतर आई है। देशभर में वर्दीधारी सैनिकों पर भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है और सैनिक भवनों में तोड़फोड़ की जा रही है। सेना ने अभी तक इन तत्वों के खिलाफ इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि उन्हें डर है कि ऐसा करने पर भारी संख्या में लोग मारे जाएंगे। कभी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सेना की आंखों का तारा हुआ करते थे। मगर जब उन्होंने सेना के इशारे पर चलने से इंकार कर दिया, तो वे सेना की आंखों की किरकिरी बन गए।

पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ इस समय 80 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि, इससे पहले भी अनेक पाकिस्तानी राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में सेना सजा दे चुकी है। मगर कभी किसी नेता के खिलाफ इतने मुकदमे अदालतों में दायर नहीं किए गए थे। पाकिस्तानी जनता इस समय बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से बेहद परेशान है। पाकिस्तान में आटा 150-175 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है, तो टमाटर का मूल्य 200 रुपये प्रति किलोग्राम से भी ज्यादा है। हालांकि, यह सच है कि महंगाई का यह सिलसिला इमरान खान के सत्ता में आने के बाद शुरू हुआ था। मगर शहबाज शरीफ के सत्ताकाल में महंगाई ने अपनी सभी सीमाओं को पार कर लिया। यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। वहां की जनता अपने देश में नरेन्द्र मोदी जैसे शासक की मांग कर रही है। उनका कहना है कि नरेन्द्र मोदी बेहद ईमानदार छवि के हैं। जबकि पाकिस्तान के अधिकांश नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और इसीलिए पाकिस्तानी शासक महंगाई पर नियंत्रण करने में अब तक विफल रहे हैं।

फिल्म 'द केरल स्टोरी' के रिलीज होते ही उर्दू अखबारों ने इसके खिलाफ सुनियोजित अभियान छेड़ दिया है। उर्दू अखबार यह आरोप लगा रहे हैं कि यह फिल्म संघ परिवार के प्रचार अभियान का एक हिस्सा है और इसका लक्ष्य जनता में मुसलमानों की छवि को धूमिल करना है। यह बहुत ही हैरानी की बात है कि अगर इस फिल्म में हिंदू और ईसाई युवतियों को गुमराह करके इस्लाम कबूल करवाने और आतंकी संगठन आईएसआईएस में भर्ती होने का उल्लेख है, तो इसमें आम मुसलमान क्यों परेशान हो रहे हैं? इससे पहले भी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' के खिलाफ भी कुछ वर्गों द्वारा दुष्प्रचार का अभियान चलाया गया था।

उर्दू अखबारों का एक वर्ग पिछले कुछ समय से मुसलमानों को सरकार के खिलाफ भड़काने का अभियान चला रहा है। हाल ही में जब राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया, तो अनेक उपासनों स्थलों को भी ध्वस्त किया गया। मगर उर्दू अखबार सिर्फ मस्जिदों, मजारों और दरगाहों के ध्वस्त करने की खबरों को खूब उछाल रहे हैं।

सूडान में गृहयुद्ध ने भीषण रूप धारण कर लिया है। कहा जाता है कि इस गृहयुद्ध के चलते एक हजार से अधिक लोग मारे गए हैं और दस हजार से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस झगड़े का प्रमुख कारण सूडान के सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान और अर्द्धसैनिक बलों के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डागालो के बीच वर्चस्व की जंग है। कुछ उर्दू अखबारों ने इस गृहयुद्ध के पीछे अमेरिका का हाथ होने की भी चर्चा की है।

फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर विवाद

जब से द केरल स्टोरी नामक फिल्म रिलीज हुई है, मुसलमानों का एक वर्ग उसके खिलाफ जबर्दस्त अभियान चला रहा है। यहां तक कि इस फिल्म को मुसलमानों के खिलाफ संघ परिवार का अभियान बताया जा रहा है।

मुंबई उर्दू न्यूज (5 मई) के अनुसार जमीयत उलेमा जैसे मुस्लिम संगठनों ने द केरल स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए केरल उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की थी, उसे अदालत ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही जस्टिस एन नागरेश और जस्टिस सोफी थॉमस की बेंच ने फिल्म के निर्माता को यह निर्देश दिया है कि वे फिल्म के विवादित अंश को हटाएं, जिसमें कहा गया है कि केरल की 32 हजार लड़कियों ने इस्लाम कबूल किया और आईएसआईएस में शामिल हो गईं।

गौरतलब है कि इस फिल्म में हिंदू और ईसाई धर्म से संबंध रखने वाली लड़कियों के इस्लाम कबूल करने के दृश्य को दिखाया गया है। न्यायाधीशों को इस फिल्म के ट्रेलर को दिखाया गया, जिसे देखने के बाद न्यायाधीशों ने कहा कि उन्हें इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा है। बेंच ने कहा कि फिल्म में आईएसआईएस के खिलाफ दिखाया गया है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को बताया कि इस फिल्म का निर्माण एक विशेष वर्ग के दृष्टिकोण को समक्ष रखकर बनाया गया है, जिसके कारण जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही केरल और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वकील ने अदालत को बताया कि फिल्म निर्माता ने हालांकि यह स्वीकार किया है कि यह फिल्म काल्पनिक विचारों पर आधारित है। मगर सच्चाई से प्रभावित होकर बनाई गई है। उन्होंने कहा कि निर्माता ने यह दावा किया है कि 32 हजार लड़कियां आईएसआईएस में शामिल हुई

थीं। हालांकि, 32 लड़कियां भी आईएसआईएस में शामिल नहीं हुई हैं और न ही किसी ने जबरन इस्लाम कबूल किया है।

इससे पहले इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस फिल्म पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया था और कहा था कि वे केरल उच्च न्यायालय का रूख करें।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जमीयत उलेमा ने द केरल स्टोरी पर प्रतिबंध के लिए केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जमीयत उलेमा के कानूनी सहायता समिति के अध्यक्ष गुलजार आजमी ने बताया कि जमीयत उलेमा ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाए और विवादित दृश्यों व डायलॉग को हटवा दें। उन्होंने कहा कि इस फिल्म से देश में शांति व्यवस्था भंग हो सकती है और सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। फिल्म में केरल की हजारों हिंदू और ईसाई लड़कियों के मुस्लिम लड़कों के बहकावे में आने पर इस्लाम कबूल करने का भी उल्लेख है और इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि ये लड़कियां आईएसआईएस में शामिल हो गई थीं। हालांकि, भारत सरकार ने इस बात की कभी पुष्टि नहीं की है।

मुंबई उर्दू न्यूज (1 मई) के अनुसार केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने इसे संघ परिवार का झूठा प्रचार बताया है और कहा है कि इससे धार्मिक सौहार्द तबाह और बर्बाद होगा। उन्होंने केरल की जनता से इस फिल्म का बहिष्कार करने की अपील की है।

मुंबई उर्दू न्यूज (2 मई) के अनुसार केरल मुस्लिम यूथ लीग ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि अगर इस फिल्म में लगाए गए 32 हजार युवतियों के इस्लाम में धर्मांतरण और आईएसआईएस में शामिल होने के आरोप की कोई पुष्टि करता है तो वे उसे एक करोड़ 11 लाख रुपया ईनाम देंगे। केरल के वकील सी. शुक्कुर ने दावा किया है कि अगर 32 महिलाओं के भी इस्लाम में धार्मांतरण और उनके आईएसआईएस में शामिल होने के बारे में कोई प्रामाणिक साक्ष्य देता है, तो वे उसे 11 लाख रुपया ईनाम देंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ तीन महिलाओं के ही आईएसआईएस में शामिल होने का मामला सामने आया है। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म के ट्रेलर से यह स्पष्ट होता है कि इस फिल्म का उद्देश्य देश में सांप्रदायिक विभाजन करना है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के एक भी मामले की पुष्टि जांच एजेंसियों, अदालतों और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नहीं की है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म का एकमात्र लक्ष्य संघ परिवार को राजनीतिक लाभ पहुंचाना है।

औरंगाबाद टाइम्स (3 मई) के अनुसार जमीयत उलेमा ने सर्वोच्च न्यायालय से द केरल स्टोरी की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, जिस पर अदालत ने कहा कि वे इस मामले को केरल उच्च न्यायालय में उठाएं।

सालार (6 मई) में प्रकाशित एक लेख में राम पुनियानी ने यह मत व्यक्त किया है कि द

केरल स्टोरी फिल्म नहीं, बल्कि भगवा एजेंडे के तहत प्रोपेगेंडा फैलाने का एक हथियार है।

सालार (4 मई) ने यह दावा किया है कि द केरल स्टोरी संघ परिवार का नया एजेंडा है। इसका लक्ष्य समाज में नफरत फैलाना और मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी का माहौल तैयार करना है।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 अप्रैल) ने यह दावा किया है कि द कश्मीर फाइल्स के बाद अब संघ परिवार ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए द केरल स्टोरी तैयार की है। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म का विरोध भी शुरू हो गया है। केरल में सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है।

मुंबई उर्दू न्यूज (9 मई) के अनुसार पश्चिम बंगाल में केरल स्टोरी की रिलीज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि इस फिल्म को संघ परिवार के इशारे पर एक विशेष वर्ग को बदनाम करने के लिए बनाया गया है।

इंकलाब (3 मई) के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में विवेकानंद विचार मंच द्वारा द केरल स्टोरी फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। एसएफआई ने इस स्क्रीनिंग की निंदा करते हुए भाजपा और आरएसएस का पुतला फूंका।

गुजरात दंगों के आरोपियों के बरी होने पर मचा बवाल

मुंबई उर्दू न्यूज (21 अप्रैल) के अनुसार एसआईटी मामलों के विशेष न्यायाधीश एसके बख्शी की अदालत ने नरोदा गाम सांप्रदायिक दंगों से संबंधित एक केस का फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी सहित सभी 86 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले के सुनाए जाने के बाद अदालत के बाहर जय श्रीराम और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। दंगों से प्रभावित पक्ष के वकील शमशाद पठान ने कहा है कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

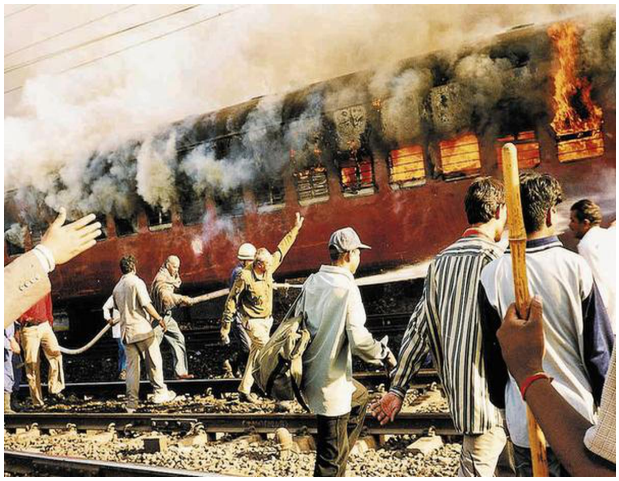

गौरतलब है कि 28 फरवरी 2002 को गुजरात के नरोदा गाम में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिनमें 11 लोग मारे गए थे। इस मुकदमे में 86 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 18 लोगों की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 187 और बचाव पक्ष की ओर से 57 गवाहों को पेश किया गया। छह न्यायाधीशों ने इस मुकदमे की सुनवाई की। सितंबर 2017 में स्वयं अमित शाह माया कोडनानी के बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर पेश हुए थे। कोडनानी ने यह दावा किया था कि उनका दंगों से कोई संबंध नहीं रहा है। वह दंगों के समय गुजरात विधानसभा और बाद में सिविल हॉस्पिटल में मौजूद थीं। गौरतलब है कि कोडनानी गुजरात में मंत्री रह चुकी हैं।

अवधनामा (22 अप्रैल) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 में साबरमती ट्रेन में

आग लगाने के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे आठ दोषियों को जमानत दे दी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने जमानत की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि आरोपी 17-18 वर्ष से जेल में हैं और उनकी अपील पर सुनवाई में काफी समय लगेगा। अदालत ने इस केस में उम्रकैद की सजा पाने वाले चार दोषियों को राहत देने से साफ इंकार कर दिया है। गौरतलब है कि इन चार दोषियों को गुजरात की निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसे गुजरात उच्च न्यायालय ने उम्रकैद में बदल दिया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (19 अप्रैल) के अनुसार बिलकिस बानो के आरोपियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने आरोपियों की रिहाई के फैसले से संबंधित फाइल को अदालत में पेश नहीं किया। सरकार के इस रवैये की सर्वोच्च न्यायालय ने आलोचना की है। बलात्कार पीड़िता बिलकिस बानो के अतिरिक्त सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली और तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा की ओर से अदालत में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के जरिए यह मांग की गई थी कि बिलकिस बानो के परिवार की हत्या और सामूहिक बलात्कार कांड के 11 आरोपियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द किया जाए।

वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने मुंबई में आयोजित एक समारोह में नरोदा गाम हत्याकांड के आरोपियों की रिहाई के फैसले को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि अगर इन आरोपियों ने हत्याकांड में भाग ही नहीं लिया था, तो क्या यह समझा जाए कि यह हत्याकांड हुआ ही नहीं था?

सियासत (21 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि ऐसा लगता है कि गुजरात का अभियोजन पक्ष आरोपियों को सजा दिलाने के मामले में गंभीर नहीं है। शायद इसलिए अदालत में इस मामले की सही ढंग से पैरवी नहीं की गई और जानबूझकर अभियोजन पक्ष ने ऐसे मुद्दे छोड़ दिए, जिनका लाभ उठाकर आरोपी अदालत से बरी हो सकें।

खरबों रुपए की संपत्ति पर जारी रहेगा वक्फ बोर्ड का नियंत्रण

इंकलाब (4 मई) के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने खरबों रुपये की 23 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का प्रशासकीय अधिकार स्वीकार कर लिया है। मगर केंद्रीय एजेंसियों को यह भी निर्देश दिया है कि वह इन संपत्तियों का जरूरी सर्वे और निरीक्षण कर सकती हैं। उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके हस्तक्षेप से वक्फ बोर्ड का प्रशासकीय ढांचा प्रभावित न हो।

समाचारपत्र का कहना है कि इन वक्फ संपत्तियों का मामला 1911 से चला आ रहा है और इस संदर्भ में तत्कालीन केंद्र सरकार कई कमेटियां भी बना चुकी हैं। मगर इन संपत्तियों के बारे में न तो कोई सामूहिक फैसला किया गया और न ही इन्हें पूर्णत: वक्फ बोर्ड के हवाले किया गया। इसके कारण विवाद बना रहा। 2014 में केंद्र की यूपीए सरकार ने चुनाव से ठीक पहले इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया था। मगर जैसे ही केंद्र में सरकार बदली इस मामले पर फिर से विचार करने के लिए एक दो सदस्यीय कमेटी बना दी गई। इसके गठन को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अदालत में चुनौती दी थी। वक्फ बोर्ड का कहना था कि पुरानी कमेटी की रिपोर्ट को वक्फ बोर्ड के साथ साझा नहीं किया गया था। यह मामला उस समय और जटिल हो गया जब केंद्र सरकार के एलएंडडीओ विभाग ने फरवरी 2023 में एक परिपत्र जारी करके इन सभी संपत्तियों से

वक्फ बोर्ड को बेदखल कर दिया और इन पर वक्फ बोर्ड के प्रशासकीय अधिकारों को भी मानने से इंकार कर दिया। ये सभी संपत्तियां दिल्ली के पॉश इलाकों में स्थित हैं, जिनमें अधिकांश मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाहें और कर्बला हैं।

यह विवाद का कारण तब बना जब 1911 में अंग्रेजों ने कोलकाता के बजाय दिल्ली को देश की राजधानी बनाया, तो बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण के साथ इन वक्फ संपत्तियों का भी अधिग्रहण कर लिया गया। जब उस समय इस फैसले का जबर्दस्त विरोध हुआ, तो इन संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं किया गया। लेकिन एलएंडडीओ विभाग, जो पहले सरकार दौलत मदार के नाम से जाना जाता था, उसके दस्तावेजों में ये संपत्तियां शुरू से ही वक्फ मामलों के तहत चली आ रही थीं। इनकी मिल्कियत के कॉलम में किसी वक्फ संगठन का नाम नहीं लिखा गया था, बल्कि इसे सरकारी भूमि करार दिया गया था और इसी कारण एलएंडडीओ विभाग को इन संपत्तियों पर दावा करने का मौका मिल गया। इस मामले की अगली सुनवाई छह नवंबर को होगी।

इंकलाब (26 अप्रैल) के अनुसार वक्फ बोर्ड ने इन संपत्तियों के मामले पर उच्च न्यायालय में अपने तर्क पेश करते हुए इन सभी संपत्तियों को अपनी संपत्ति बताया है और इस संदर्भ में कुछ दस्तावेज भी पेश किए हैं। सरकार का दावा है कि 1911 में इन सभी संपत्तियों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था और इसका उल्लेख सरकारी दस्तावेजों में भी किया गया था। इससे सिद्ध होता है कि ये सभी संपत्तियां केंद्र सरकार की हैं। अदालत में इस संदर्भ में अनेक दस्तावेज भी पेश किए गए।

वक्फ बोर्ड के वकील वजीह शफीक ने अदालत में सरकार के इस फैसले को गलत और गुमराह करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों का मुआवजा क्योंकि किसी ने वसूल नहीं किया था, इसलिए इनको सरकारी संपत्ति की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून के अनुसार किसी वक्फ संपत्ति पर फैसला करने का अधिकार वक्फ ट्रिब्यूनल का है। वक्फ एक्ट के अनुसार अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ करार दी जाती है, तो वह हमेशा वक्फ ही रहती है।

गौरतलब है कि इन संपत्तियों को 1970, 1974 और 1984 के सर्वे में वक्फ की संपत्ति माना गया है। केंद्र सरकार ने इन संपत्तियों को एलएंडडीओ की संपत्ति घोषित किया था, जिसे वक्फ बोर्ड ने 20 फरवरी 2023 को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा था कि ये वक्फ संपत्तियां हैं।

बिहार में जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक

रोजनामा सहारा (5 मई) के अनुसार बिहार सरकार द्वारा राज्य में करवाई जा रही जातिगत जनगणना को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अदालत ने अगली सुनवाई तक जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी है। अब इसकी सुनवाई तीन जुलाई को होगी। इस फैसले से बिहार सरकार को बड़ा धक्का लगा है। अदालत ने जातिगत जनगणना पर रोक लगाने के साथ-साथ इस संदर्भ में इकट्ठे किए गए आंकड़ों को भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार द्वारा जनगणना के फैसले को चुनौती देते हुए उसे असंवैधानिक बताया था और कहा था कि इस पर 500 करोड़ का अवैध खर्च किया जा रहा है और राज्य सरकार ने इस जनगणना की कोई नियमावली नहीं बनाई है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि इस जनगणना में लोगों की जाति के साथ-साथ उनके काम और उनकी क्षमता का विवरण इकट्ठा किया जा रहा है, जोकि निजी गोपनीयता का उल्लंघन है। वहीं, सरकार की ओर से कहा गया था कि यह सर्वे जनहित के लिए किया जा रहा है और इस संबंध में किसी गोपनीयता को भंग नहीं किया गया है।

इंकलाब (29 अप्रैल) के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जातिगत जनगणना कराना कोई अपराध नहीं है और इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जाति के आधार पर जनगणना नहीं करवा रहे, बल्कि जाति पर आधारित गिनती कर रहे हैं। जनगणना कराना हमारा काम नहीं है, बल्कि यह केंद्र के जिम्मे है।

इंकलाब (7 मई) के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला 1996 में सर्वसम्मति से हुआ था और उस समय केंद्र की एचडी देवगौड़ा सरकार ने यह फैसला किया था कि 2001 की जनगणना में जातियों को भी गिना जाएगा। लेकिन 1999 में केंद्र में भाजपा की सरकार आई। वह सरकार बहुजन विरोधी थी, इसलिए उसने इस मुद्दे को जनगणना में शामिल नहीं किया। एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और पार्टी के अन्य नेताओं ने कहा कि भाजपा ने साजिश के तहत इस जनगणना पर अस्थाई तौर पर पाबंदी लगवा दी है। हालांकि, 2010 में लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव की पहल पर केंद्र की यूपीए सरकार ने जातिगत जनगणना की मांग को मान लिया था और इस पर काम भी हुआ था। मगर 2014 में जब भाजपा की केंद्र में सरकार बनी तो ये मुद्दे गायब हो गए। जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन ने कहा कि जातिगत जनगणना के बारे में भाजपा का रवैया मुंह में राम और बगल में छुरी का रहा है। बाहरी रूप से इसके नेता जातिगत जनगणना का समर्थन करते रहे हैं। मगर अंदरूनी तौर पर वह इसका विरोध करती आ रही है। भाजपा यह नहीं चाहती कि पिछड़े लोग प्रगति करें, इसलिए वह जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है। आरजेडी, जेडीयू और सीपीआई के विधायकों ने कहा है कि जनगणना होनी चाहिए और उसको रोका नहीं जाना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। उन्होंने

कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी जातिगत जनगणना के पक्ष में आवाज उठाई गई थी और आशा है कि यह मामला अभी और तूल पकड़ेगा।

सालार (18 अप्रैल) के अनुसार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है और इस संदर्भ में प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर यह मांग की है कि देशभर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्योंकि देश भर में सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों के लिए जनगणना के आंकड़े अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि 2011-12 में आर्थिक और सामाजिक आधार पर भी जातिगत जनगणना कराई गई थी, जिसमें 25 करोड़ मकानों का सर्वे किया गया था। मगर 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद यह मामला खटाई में पड़ गया।

सालार (20 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में जातिगत जनगणना कराने की मांग का समर्थन किया है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि यदि भाजपा को ओबीसी से प्रेम है, तो इसे शब्दों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए और 2011 की जनगणना में इस संबंध में जो काम हुए थे, उसके आंकड़ों की घोषणा की जानी चाहिए।

हमारा समाज (18 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में इस बात का उल्लेख किया है कि पिछड़ों के सबसे बड़े हमदर्द लालू प्रसाद यादव ने अपने सत्ताकाल में इस तरह की जनगणना कराने का काम क्यों नहीं शुरू किया था? समाचारपत्र ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में यह बात खुलकर सामने आ गई कि ओबीसी के मतदाताओं के साथ-साथ बड़ी संख्या में दलित, महादलित और आदिवासी समाज के लोगों ने भी भाजपा को वोट दिया और इसका प्रमुख कारण इनमें बांटी जाने वाली मुफ्त अनाज की योजना थी।

आतंकवादियों के खिलाफ अभियान

इंकलाब (7 मई) के अनुसार उत्तर प्रदेश एटीएस ने लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बहराइच, मुजफ्फरनगर आदि 14 जिलों में पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं के खिलाफ छापे मारे और कम-से-कम 50 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया। एडीजी प्रशांत कुमार ने यह दावा किया कि इस कार्रवाई के दौरान एटीएस ने वाराणसी से पीएफआई के 50-50 हजार के दो ईनामी कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। लखनऊ के रिहाई मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शोएब को भी हिरासत में लिया गया था। मगर पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस के सूत्रों के अनुसार प्रतिबंधित संगठन से संबंधित जिन लोगों को

हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है।

इससे पूर्व सितंबर 2022 में पॉपलुर फ्रंट को प्रतिबंधित संगठन घोषित किए जाने के बाद 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दो दर्जन अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने लखनऊ से नौ, बाराबंकी

से तीन, बहराइच से दो, बलरामपुर से एक, देवरिया से दो, वाराणसी से आठ, आजमगढ़ से तीन, कानपुर से दो, गाजियाबाद से दस, मेरठ से चार, बुलंदशहर से एक, शामली से 11, मुजफ्फर नगर से तीन, बिजनौर से पांच और अन्य 11 जिलों से तीन-तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (8 मई) के अनुसार उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधक दस्ते ने 70 लोगों को हिरासत में ले लिया और वाराणसी से दो फरार पीएफआई कार्यकर्ताओं परवेज अहमद और रईस अहमद को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस का आरोप है कि ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। वाराणसी में अब तक 211 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। छापा मारने के लिए तीस विशेष टीमें गठित की गई थीं और संदिग्ध लोगों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखने हेतु इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी सहारा लिया गया।

मुंबई उर्दू न्यूज (26 अप्रैल) के अनुसार ईद के दो दिन बाद देश के पांच राज्यों में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और उससे संबंधित संस्थानों के 18 स्थानों पर आईएनए ने छापेमारी की। इन राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और पंजाब शामिल हैं। बिहार में 12, उत्तर प्रदेश में दो, मध्य प्रदेश, पंजाब और गोवा में दो स्थानों पर छापे मारे गए। बिहार के दरभंगा में दांत के डॉक्टर सारिक रजा और सिंहवाड़ा में एसडीपीआई के सचिव महबूब आलम के घर पर छापा मारा गया। जबकि मोतिहारी में शहजाद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। शहजाद हाल ही में दुबई से भारत आया था। गुप्तचर एजेंसियों का आरोप है कि उसके माध्यम से विदेशी स्रोतों से पीएफआई को धन प्राप्त होता था। एनआईए की टीम ने पीएफआई के जिलाध्यक्ष मोहम्मद सनाउल्लाह और मोहम्मद मुस्तकीम के घर पर छापे मारे और उनके घर से कई सिम कार्ड, चीनी मोबाइल और गुप्त दस्तावेज बरामद हुए। ■

मुसलमानों को सरकार के खिलाफ भड़काने का अभियान

मुस्लिम संप्रदाय को सरकार के खिलाफ भड़काने का अभियान उर्दू अखबारों द्वारा बड़े पैमाने पर चल रहा है।

इंकलाब (28 अप्रैल) के अनुसार दिल्ली में दरगाहों, मदरसों और मजारों पर बुलडोजर चलाने का अभियान चल रहा है। गाजीपुर में मदरसा दारूल इस्लाम और हसनपुर डिपो के सामने एक प्राचीन मजार पर भी बुलडोजर चला दिया गया। दिल्ली में यह पांचवां मजार है, जिसे एक ही दिन में तोड़ा गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कहा है कि वह इस संबंध में अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है।

समाचारपत्र के अनुसार पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में जिस प्राचीन मजार को तोड़ा गया है, वह सदियों पुराना है। जबकि गाजीपुर में जिस मदरसे की दिवारों को तोड़ा गया है, वह 1976 से चल रहा था। इन घटनाओं की सूचना मिलने पर जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने एक प्रतिनिधिमंडल को मौके पर भेजा। इस प्रतिनिधिमंडल ने इस सरकारी दावे का

जन्नती बाबा को रात में गिरा दिया गया है। वक्फ बोर्ड ने इस घटना की निंदा की है। जमीयत उलेमा की कार्यकारिणी का एक अधिवेशन मौलाना अब्दुल हन्नान कासमी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें दिल्ली में मुसलमानों के उपासना स्थलों, मदरसों, मकबरों एवं दरगाहों को ध्वस्त करने के अभियान की निंदा की गई और कहा गया कि इस संबंध में अदालत की शरण ली जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को सरकार निशाना बना रही है।

खंडन किया है कि ये भवन अवैध थे या सरकारी जमीन पर बनाए गए थे।

इसी समाचारपत्र ने 27 अप्रैल के अंक में मंडी हाउस में स्थित प्राचीन दरगाह हजरत सैयद नन्हे मियां की मजार को रात के अंधेरे में ध्वस्त कर दिया गया। इस मजार के खादिम (देखभाल करनेवाला) अनवर अली का दावा है कि उनके पूर्वज ढ़ाई सौ साल से इस मजार की सेवा कर रहे थे।

एक अन्य समाचार के अनुसार पीडबल्यूडी ने पटपड़गंज डिपो के पास बनी हैदर अली शाह की मजार को बुलडोजर द्वारा गिरा दिया गया है। इस मजार के सज्जादानशीन सूफी इस्लाम ने बताया कि यह मजार दौ सौ वर्ष पुराना है और इसको गिराने से पहले कोई नोटिस भी नहीं दी गई थी।

रोजनामा सहारा (24 अप्रैल) के अनुसार पुराना किला के सामने काका नगर में दरगाह

रोजनामा सहारा (28 अप्रैल) के अनुसार कानपुर में ईद की नमाज सड़कों पर अदा करने के आरोप में 1700 व्यक्तियों के खिलाफ बजारिया, बाबू पूर्वा और जाजमऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का आरोप है कि पाबंदी के बावजूद ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज अदा की गई। पुलिस चौकी इंचार्ज ब्रजेश कुमार ने कहा कि लोगों ने यह आश्वासन दिया था कि वे ईद के मौके पर नमाज सिर्फ मस्जिदों और ईदगाह में ही अदा करेंगे। मगर इस आश्वासन का उल्लंघन करके हजारों नमाजियों की भीड़ सड़क पर जमा हो गई, जिससे यातायात में बाधा आई। इसके चलते सरकार को दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी है।

पाकिस्तान गृहयुद्ध के कगार पर

इंकलाब (13 मई) के अनुसार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट केस में दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। इमरान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलील दी है कि इमरान खान को नौ मई को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अल कादिर ट्रस्ट की रिपोर्ट को अचानक जांच में बदल दिया गया। ख्वाजा हारिस ने दावा किया है एनएबी ने हमें कोई प्रश्नावली नहीं भेजी थी, बल्कि कुछ जानकारी मांगी थी। तोशाखाना केस में भी इसी तरह से नोटिस भेजा गया था, जिसे मैने अदालत में चुनौती दी थी। इसी अदालत ने इन नोटिसों को अवैधानिक बताया था।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में बहस के दौरान एडवोकेट जनरल ने बताया कि देश में भड़की हिंसा के कारण अनुच्छेद 245 के तहत फौज को तलब किया गया था। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि क्या इस देश में मार्शल लॉ लग गया है? सरकारी वकील सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने बताया कि इमरान खान कभी भी भ्रष्टाचार निरोधक कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। जबकि इनके सह अभियुक्त जांच में भाग ले रहे हैं। देश भर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। बताया जाता है कि अब तक इस संबंध में 30 हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकार सूत्रों ने यह दावा किया है कि गिरफ्तारियों की संख्या में और भी वृद्धि हो सकती है। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई की नेता डॉ. शिरीन मजारी को हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि जब तक सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति और मोहल्लों को जलाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक इंटरनेट पर पाबंदी जारी रहेगी।

मुंबई उर्दू न्यूज (10 मई) के अनुसार पुलिस ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में घुसकर

गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री को अल कादिर ट्रस्ट केस में भूमि घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। वीडियो के अनुसार पाकिस्तानी रेंजरों ने गिरफ्तारी के समय अलमारियों के शीशे तोड़ दिए और इमरान खान की गर्दन पकड़कर घसीटते हुए कार में बैठाकर ले गए। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही देश भर में तोड़फोड़ शुरू हो गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता हम्मद अजहर ने कहा है कि हिरासत के दौरान इमरान खान से मारपीट की गई है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे सड़क पर उतरें, वरना पाकिस्तान में सेना के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाएगा।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही देशभर में उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। अनेक स्थानों पर सरकारी इमारतों को आग के हवाले किया गया है और पुलिस की गाड़ियों तथा सेना के ट्रकों पर हमले किए गए हैं। प्रदर्शनकारी रावलपिंडी स्थित सैनिक मुख्यालय में घुस गए और कमांडर हाउस में तोड़फोड़ की। पेशावर में एक रेडियो स्टेशन को भी आग के हवाले कर दिया गया।

मुंबई उर्दू न्यूज (11 मई) के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह भय व्यक्त किया है कि सेना उनकी हत्या कर सकती है। उन्होंने पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत की कि उन्हें 24 घंटे तक बाथरूम भी नहीं जाने दिया गया। इमरान खान की पार्टी ने देशव्यापी हड़ताल बुलाया था, जिसके कारण पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने आठ से अधिक पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या कर दी है। पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान और उनके सहयोगियों पर यह आरोप लगाया है कि वे वर्दीपोश सेना को भी अपना निशाना बना रहे हैं और राजनीतिक नकाब ओढ़कर आतंकवादी हरकतों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार किसी भी कीमत पर देश में बदअमनी को सहन नहीं करेगी।

सालार (11 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान में लोकतंत्र के बारे में सभी भ्रम दूर हो गए हैं। उन्हें गिरफ्तार किए जाने की चर्चा काफी समय से थी। मगर गिरफ्तारी के समय उनके साथ अदालत परिसर में जो व्यवहार किया गया, वह ऐसे देश के लिए शर्मनाक है, जो लोकतांत्रिक होने का दावा करता है। अब इमरान खान की कठिनाईयां बढ़ गई है, क्योंकि तोशाखाना के मामले में इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इमरान खान को दोषी करार दे दिया है और आठ दिनों के लिए उन्हें एनएबी की रिमांड पर भेज दिया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में आग लग गई है। कभी इमरान खान सेना के लाड़ले हुआ करते थे। मगर अब वे उसके निशाने पर हैं। पूरा पाकिस्तान हिंसा की ज्वाला में जल रहा है। दर्जनों लोग मारे गए हैं। पूरे पाकिस्तान में धारा 144 लागू कर दी गई है और मोबाइल, इंटरनेट और ट्विटर सेवा भी बंद कर दी गई है।

इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी करार दिया गया है। इस ट्रस्ट में सिर्फ दो ट्रस्टी हैं, जिनमें इमरान खान और उनकी पत्नी शामिल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के अनेक मामलों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय उन पर 80 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। आम चुनाव के बाद इमरान खान की सरकार को जिस तरह से बर्खास्त किया गया, उसके कारण पूरे पाकिस्तान में सेना के खिलाफ आवाज उठ रही है। आतंकवादियों का समर्थन, उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार और बदले की राजनीति ने पाकिस्तान को अंधेरे में धकेल दिया है, जहां से निकलना उसके लिए काफी मुश्किल है। सिर्फ इमरान खान ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अनेक

राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों की एक लंबी सूची है, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में सजा मिली है।

इमरान खान के राजनीति में आने के बाद यह धारणा बनी थी कि वे नई तरह की राजनीति करेंगे और शायद पाकिस्तान सीधे रास्ते पर आ जाए। मगर बदले की राजनीति और राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण उन्हें कई मोर्चों पर विफलता हाथ लगी। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी आपस में मिल गए। पाकिस्तान में गरीबी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और महंगाई ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान को गेहूं का प्रमुख उत्पादक देश माना जाता था। मगर आज वहां गेहूं का आटा 150-200 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। वहीं टमाटर का मूल्य भी ढ़ाई सौ रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर गया है। मांस 600 से 700 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा है।

आज पाकिस्तानी जनता में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की हैसियत तेजी से बढ़ रही है। हर पाकिस्तानी यह पूछता है कि जब पड़ोस में आटा 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो पाकिस्तान में 150 रुपये प्रति किलोग्राम क्यों बिक रहा है? हाल ही में सरकारी आटे के वितरण के दौरान मची भगदड़ में दो दर्जन से अधिक निर्दोष लोग मारे गए हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 मई) ने पाकिस्तान की हालत पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। पूरे देश में गृहयुद्ध जारी है। हिंसा बढ़ रही है और तोड़फोड़ की जा रही है। राजनेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि, पाकिस्तान में हिंसा कोई नई बात नहीं है। मगर आज जो कुछ हो रहा है उसकी कोई पुरानी मिसाल नहीं मिलती है। यूं तो 2018 में इमरान खान के सत्ता में आने के बाद से ही राजनीतिक और आर्थिक बदहाली का सिलसिला शुरू हो गया था। मगर हालात तबाही की तरफ उस समय जाने शुरू हुए, जब इमरान खान को सत्ता से हटा दिया गया और उनके स्थान पर शहबाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री बने। अब हालात न तो पुलिस के काबू में है और न ही अर्द्धसैनिक बलों के। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तानी सेना जनता के कोपभाजन का शिकार हो रही है। अभी तक हमेशा पाकिस्तानी शासन की बागडोर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेना के हाथ में रही है। इमरान खान ने सेना के चंगुल से निकलने का जो प्रयास किया था, उसकी उन्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ी।

पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तानी जनता खुलेआम सेना और सैनिक कार्यालयों पर हमले कर रही है। अगर सेना प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवारी करती है, तो सैकड़ों लोगों के मारे जाने की संभावना है। इसलिए सेना किसी बड़ी कार्रवाई से कतरा रही है। पिछले 75 वर्ष में एक भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सेना की बैसाखियों के बिना नहीं टिक पाया है। जिस नेता ने पाकिस्तान की सेना को चुनौती दी, उसी का सफाया कर दिया गया। ■

बुर्किना फासो में आतंकवादियों ने की 80 नागरिकों की हत्या

सियासत (25 अप्रैल) के अनुसार पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो के एक गांव में सैनिक वर्दी पहने आतंकवादियों ने 80 से अधिक नागरिकों की हत्या कर दी। सरकार ने इस घटना की जांच करवाने की घोषणा की है। पश्चिमी अफ्रीका का यह देश सबसे ज्यादा अस्थिर और गरीब माना जाता है। इस देश में इस्लामिक आतंकियों के हमलों में निरंतर वृद्धि हुई है। कहा जाता है कि पड़ोसी देश माली से अलकायदा और आईएसआईएस से जुड़े हुए लोग इस देश में

आतंकवाद फैला रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों ने बताया कि 100 से अधिक लोगों ने मोटरसाइकिलों और ट्रकों पर सवार होकर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें 80 से अधिक लोग मारे गए।

गौरतलब है कि एक सप्ताह पूर्व इसी तरह के हमले में 46 लोग मारे गए थे। बुर्किना फासो के सैनिक प्रशासन ने यह घोषणा की है कि आतंकवादियों को हर कीमत पर कुचला जाएगा। इस देश में 2015 में गृहयुद्ध की शुरुआत हुई थी, जोकि अभी तक जारी है। बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति कैप्टन इब्राहिम त्रोरे ने यह घोषणा की है कि आतंकवादियों के नियंत्रण में जो क्षेत्र थे, उसका 40 प्रतिशत हिस्सा आजाद करवाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अब तक इस देश में चल रहे गृहयुद्ध में कम से कम 10 हजार लोग मारे जा चुके हैं और 20 हजार लोग बेघर हो गए हैं।

एक अन्य समाचार के अनुसार इसी देश में इस घटना के अगले दिन आतंकवादियों ने एक गांव में धावा बोला और पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया। जान बचाकर भागने की कोशिश करने वाले लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं, जिसमें कम से कम 33 लोग मारे गए और सौ से अधिक जख्मी हुए। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं।

पाकिस्तान के स्कूल में फायरिंग

इंकलाब (5 मई) के अनुसार खैबर पखतूनख्वा के जिला कुर्रम में एक स्कूल पर कुछ अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाईं, जिनमें कम से कम आठ लोग मारे गए। इनमें सात अध्यापक शामिल हैं। पाराचिनार के जिलाधिकारी एस. कैसर अब्बास ने कहा कि इस घटना की जांच की जा रही है। उन्होंने इस घटना के लिए आतंकवादी संगठनों को दोषी ठहराया है। इस घटना के बाद जिला के सभी स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं और मैट्रिक की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है।

उत्तरी वजीरिस्तान में आतंकवादियों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना के छह जवान मारे गए। सेना के जनसंपर्क विभाग ने यह स्वीकार किया है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। इस वर्ष अब तक डेढ़ हजार से अधिक लोग मारे गए हैं। लकी मर्दान नामक कस्बे में आतंकवादियों ने रात के समय में तीन हमले किए, जिनमें तीन सैनिक और सात आतंकवादी मारे गए।

आईएसआईएस की अमेरिका, यूरोप और एशिया में हमलों की तैयारी

इंकलाब (5 मई) के अनुसार अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के निष्कासन के दो वर्ष बाद यह देश इस्लामिक खिलाफत के खुरासान चैप्टर का अड्डा बन गया है। यहां से आतंकवादी गिरोह यूरोप और एशिया में हमलों की योजना बनाते हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन की एक दस्तावेज के अनुसार आईएसआईएस के आतंकवादी अब पूरे विश्व के दूतावासों, गिरजाघरों और शॉपिंग मॉल को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। गुप्तचर सूत्रों के अनुसार अब तक दो दर्जन ऐसे खौफनाक हमलों की वे तैयारी कर चुके हैं। गुप्तचर सूत्रों के अनुसार आईएसआईएस रासायनिक हथियार और ड्रोन बनाने में निपुण हो चुका है। हाल ही में उसने कई यूरोपीय देशों में दूतावास के अधिकारियों का अपहरण करने और जेलों में बंद चार हजार से अधिक आतंकवादियों को छुड़ाने की योजना बनाई थी। बाइडेन प्रशासन ने इन समाचारों पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। मगर यह भी कहा कि आतंकवाद के खात्मे के लिए हमारा अभियान जारी रहेगा। हाल ही में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने सोमालिया में एक छापामार कार्रवाई में इस्लामिक स्टेट ग्रुप के कई प्रमुख आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया।

सियासत (26 अप्रैल) के अनुसार तालिबान सरकार ने आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई करने में अमेरिका को सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में सुन्नी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस सुनियोजित ढंग से शियाओं और अन्य अल्पसंख्यकों को अपना निशाना बना रहा है। इस वर्ष अब तक इस सुन्नी संगठन द्वारा 500 से अधिक लोगों की हत्या की जा चुकी है। अमेरिकी सरकार इस बात से चिंतित है कि अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान छोड़ते समय वहां पर जो अस्त्र-शस्त्रों के जो अकूत भंडार छोड़े थे, उनमें से काफी आईएसआईएस के हाथ लग गए हैं, जिसे वे विश्व के अन्य देशों में तस्करी द्वारा भेज रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया के स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़

इंकलाब (24 अप्रैल) के अनुसार खालिस्तान समर्थकों ने ऑस्ट्रेलिया के मंदिरों में एक बार फिर से तोड़फोड़ की है। यह घटना पश्चिमी सिडनी के रोजेल क्षेत्र में स्थित बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर में हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंदिर पर खालिस्तानियों ने हमला किया और मंदिर की मूर्तियों को क्षति पहुंचाई। इसके बाद उन्होंने मंदिर पर खालिस्तानी झंडे लगा दिए। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी कई बार ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा चुका है। इस वर्ष के प्रारंभ में छह मंदिरों को खालिस्तानियों ने क्षति पहुंचाई थी। भारत सरकार ने शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध आस्ट्रेलिया सरकार से किया है।

सूडान में भीषण गृहयुद्ध

मुंबई उर्दू न्यूज (24 अप्रैल) के अनुसार सूडान में गृहयुद्ध ने भीषण रूप धारण कर लिया है। सूडानी सेना और अर्द्धसैनिक बलों के बीच गत दो सप्ताह से खूनी झड़पें जारी है, जिनमें कम-से-कम एक हजार लोग मारे गए हैं और दस हजार से अधिक लोग घायल हुए हैं। जबकि दस लाख से अधिक लोगों को अपने घर द्वार छोड़ने पड़े हैं। सूडान की जनसंख्या 3 करोड़ 25 लाख है, जिसमें से 54 प्रतिशत अरब मुसलमान हैं। सूडान में सोना, प्लेटिनम, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट आदि के भारी भंडार है। जबकि दक्षिण सूडान को अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अलग देश घोषित किया था। इसमें सिर्फ ढ़ाई प्रतिशत मुसलमान हैं। जबकि शेष ईसाई और आदिवासी हैं।

सूडान का दुर्भाग्य यह है कि गत तीस वर्षों से वहां पर गृहयुद्ध जारी है, जिसमें कम से कम 20 लाख लोग मारे जा चुके हैं। मई 1986 से 1989 तक अहमद अल-मिरघानी सत्तारूढ़ रहे। मगर 1989 में सेना प्रमुख उमर अल-बशीर ने विद्रोह करके सत्ता संभाल ली और वे तीस वर्ष तक सूडान के तानाशाह रहे। इसके बाद जनाक्रोश, विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों के कारण सेना ने साल 2019 में सरकार का तख्ता पलट दिया और सूडानी सेना के प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और अर्द्धसैनिक बलों के कमांडर जनरल मोहम्मद हमदान डागालो को सूडान का उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया।

अवधनामा (18 अप्रैल) के अनुसार सूडान में सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान और अर्द्धसैनिक बलों के कमांडर जनरल मोहम्मद हमदान डागालो के बीच जंग चल रही है। बताया जाता है कि यह झगड़ा उस समय शुरू हुआ जब आरएसएफ को सेना में शामिल करने के प्रश्न पर दो सेनापतियों बुरहान और डागालो के बीच मतभेद उभर कर सामने आए। दंगों के कारण सूडान की पूरी आर्थिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है और महंगाई में भी भारी वृद्धि हुई है। खाद्यान्न और जीवनोपयोगी वस्तुओं के भंडार खत्म हो गए हैं।

सियासत (20 अप्रैल) के अनुसार हालांकि दोनों गुटों ने युद्धविराम की घोषणा की है। मगर इसके बावजूद विभिन्न स्थानों पर युद्ध जारी हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम में सूडानी वायु सेना ने आरएसएफ के अड्डों को अपना निशाना बनाया है। विदेशी दूतावासों ने अपने-अपने कर्मचारियों को सूडान से निकाल लिया है।

अवधनामा (6 मई) के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सूडान के दोनों सेनापतियों से अपील की है कि वे फौरन युद्धविराम की घोषणा करें, वरना अमेरिका को सूडान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने होंगे। इस संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक फरमान पर हस्ताक्षर भी किए हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (20 अप्रैल) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न देशों के दूतावासों पर हमलों की निंदा की है और इसे फौरन बंद करने पर जोर दिया है।

इत्तेमाद (22 अप्रैल) के अनुसार ईद के मौके पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ ने

युद्धविराम की अपील की थी। मगर इसके बावजूद वहां पर जंग जारी है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। सूडानी सेना के प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान ने कहा है कि वे युद्धविराम के लिए इच्छुक हैं। मगर विद्रोही गुट एचडीके के साथ युद्धविराम के बारे में बातचीत करना संभव नहीं है। उन्होंने इस गुट पर यह आरोप लगाया कि यह गुट युद्धविराम का पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि हालांकि खार्तूम में दोनों गुटों में झड़पें जारी हैं। मगर देश के सभी 18 राज्य सेना के नियंत्रण में हैं।

यमन में सहायता सामग्री बांटने के दौरान भगदड़

मुंबई उर्दू न्यूज (21 अप्रैल) के अनुसार यमन में सहायता सामग्री के वितरण पर मची भगदड़ में कम-से-कम 85 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। संवाद समिति 'रॉयटर्स' के अनुसार पिछले एक दशक में भगदड़ की यह सबसे बड़ी घटना है। यह घटना ईद से दो दिन पूर्व हुई है। अरब के सबसे गरीब देश यमन में हजारों लोग पांच हजार यमनी रियाल नकद सहायता प्राप्त करने के लिए इकट्ठे हुए थे। इस सहायता को प्राप्त करने के लिए भगदड़ मच गई।

गृह मंत्रालय ने यह दावा किया है कि इस घटना के दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हूतियों के सर्वोच्च क्रांतिकारी समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अली अल-हूती के अनुसार दुर्घटना का कारण बहुत बड़ी भीड़ थी, जोकि एक तंग गली में स्थित स्कूल से नकद सहायता बटोरने का प्रयास कर रहे थे। यह भी आरोप है कि इस मौके पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ लोगों ने गोली चलाई थीं, जिससे स्थिति और बिगड़ गई।

सीरिया और ईरान के बीच व्यापारिक समझौता

सियासत (5 मई) के अनुसार ईरान और सीरिया के राष्ट्राध्यक्षों के बीच अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, ताकि इन दोनों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाया जा सके। ईरानी संवाद समिति के अनुसार ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने दमिश्क में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद से मुलाकात की। साल 2010 के बाद किसी ईरानी राष्ट्राध्यक्ष का यह पहला सीरिया दौरा है। बातचीत में भाग लेने के लिए आर्थिक विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधिमंडल भी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ सीरिया गया था। सीरिया की सरकारी मीडिया के अनुसार दोनों देशों के बीच तेल, कृषि, रेलवे और आर्थिक क्षेत्रों में अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ईरान की सरकारी रेल कंपनी इराक और सीरिया में अपने नेटवर्क को विस्तार देने के लिए इच्छुक है, ताकि वह भूमध्य सागर में स्थित सीरिया के बंदरगाहों से इस रेल नेटवर्क को जोड़ सके और व्यापार में वृद्धि हो।

ईरान से नए समझौतों से सीरिया के आर्थिक विकास में विशेष सहयोग मिलेगा। क्योंकि सीरिया के गृहयुद्ध के कारण मुद्रा स्फीति में भारी वृद्धि हुई है और महंगाई भी बढ़ी है। सीरिया की करेंसी के मूल्य तेजी से घटे हैं। दमिश्क में आने से पूर्व अरब टीवी चैनल अल मायादीन को एक इंटरव्यू देते हुए इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान सीरिया के नवनिर्माण और युद्ध के कारण बेघर होने वाले लोगों की देश में वापसी का प्रयास करेगा।

सीरिया में आईएसआईएस का प्रमुख मारा गया

इंकलाब (5 मई) के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बताया कि आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के प्रमुख अबू हुसैन अल-कुरैशी को तुर्की सुरक्षा बलों ने एक खुफिया ऑपरेशन चलाकर सीरिया में मार गिराया है। उन्होंने कहा कि इस आतंकवादी संगठन के तत्कालीन प्रमुख अबू इब्राहिम अल-हाशिमी अल-कुरैशी को नवंबर 2022 में एक ऑपरेशन के दौरान मार गिराया गया था। इसके बाद अबू हुसैन अल-कुरैशी को आईएसआईएस का प्रमुख चुना गया था।

तुर्की के राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू में कहा कि तुर्की की राष्ट्रीय गुप्तचर एजेंसी एमआईटी को

इस शख्स को मारने का श्रेय दिया जा सकता है। तुर्की की गुप्तचर एजेंसियां इस आतंकवादी का काफी समय से पीछा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हम आतंकवादियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेंगे। उन्होंने दावा किया कि गुप्तचर सूत्रों से प्राप्त जानकारी के बाद एक फार्म हाउस, जिसे एक इस्लामिक मदरसे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, में मुठभेड़ के दौरान यह आतंकवादी मारा गया। यह स्थान तुर्की की सीमा के समीप स्थित है।

साल 2014 में आईएसआईएस ने अपने प्रमुख अबू बकर अल बगदादी के नेतृत्व में इस्लामिक खिलाफत की घोषणा की थी। इसके बाद उन्होंने इराक और सीरिया के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। मगर इराक और सीरिया में अमेरिकी सहायता के साथ-साथ रूस और ईरान की मदद से इस गिरोह को इन क्षेत्रों से बाहर

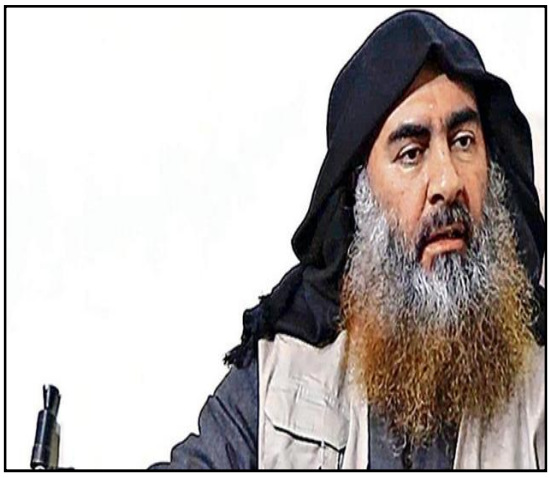

निकाल दिया गया। 2019 में बगदादी एक ऑपरेशन में मारा गया। हालांकि, आईएसआईएस की कमर टूट चुकी है। मगर इसके बावजूद सीरिया और उसके आसपास के कई देशों में यह आतंकवादी संगठन सक्रिय है।

हाजियों के लिए सऊदी एयरलाइंस के 164 विमान निर्धारित

रोजनामा सहारा (6 मई) के अनुसार सऊदी अरब ने इस वर्ष की हज के लिए सऊदी एयरलाइंस के 164 विमान हाजियों की सेवा के लिए निर्धारित किए हैं। सऊदी विमान कंपनियों ने अपना परिचालन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इस वर्ष सऊदी अरबियन एयरलाइंस, फ्लाईएडल और प्राइवेट सऊदी एयरलाइंस ने विश्व भर के 12 लाख से अधिक हाजियों के लिए सीटों की व्यवस्था की है। हज के इच्छुक व्यक्तियों को 100 से अधिक हवाई अड्डों और

चौदह नियमित हवाई अड्डों से हज का सफर करवाया जाएगा। हाजियों की सेवा के लिए आठ हजार विमान चालकों को नियुक्त किया गया है। हाजियों को धार्मिक प्रोग्राम और हज से संबंधित जानकारी देने की विशेष व्यवस्था की गई है। 600 घंटों तक कुरान पाक की तिलावत (पाठ) का भी प्रबंध किया गया है। इस्लामिक कार्यक्रम अरबी के अतिरिक्त अंग्रेजी, इंडोनेशियाई, चीनी और 50 अन्य भाषाओं में पेश किया जाएगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

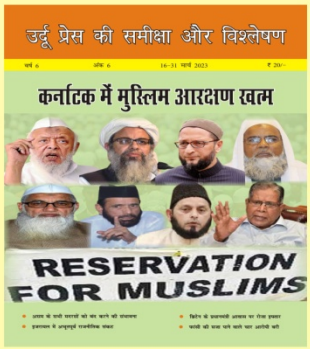

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in